

परिशिष्ट

(देखिए नियम-6) फार्म-‘क’

(सरकारी तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1-	परियोजना विवरण	जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 (बाराबंकी शहरी भाग) के किमी० 26.000 से 29.700 तक जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक चौड़ीकरण, डिवाइडर एवं लेवेल्ड फुटपाथ का निर्माण कार्य का क्षेत्रफल 1.48 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 11 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव से सम्बन्धित वन निर्वाधन हेतु प्रस्ताव।
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:-	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 (बाराबंकी शहरी भाग) के किमी० 26.000 से 29.700 तक जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक चौड़ीकरण, एवं लेवेल्ड फुटपाथ का निर्माण कार्य
(ii)	1:5000 स्कैल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप:-	संलग्न-30
(iii)	परियोजना की लागत:-	रु० 590.50 लाख लगभग।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य:-	उ० प्र० शासन द्वारा स्वीकृत जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक चौड़ीकरण, एवं लेवेल्ड फुटपाथ का निर्माण कार्य अतः मार्गों के किनारे पड़ने वाले भूमि/वृक्ष जो कि संरक्षित वन में आते हैं का प्रयोग करना आवश्यक है और इसका कोई विकल्प नहीं है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा हाने की संभावना है।	प्रत्यक्ष रूप से कम किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से अनेक रोजगार सृजित होंगे।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सम्पूर्ण वन भूमि मार्ग के चौड़ीकरण एवं लेवेल्ड फुटपाथ के निर्माण हेतु समर्पित है, लम्बाई, चौड़ाई संलग्नक-2 के कालम-4 में तथा क्षेत्रफल कालम-5 में दर्शाया गया है। मार्ग के चौड़ीकरण भाग का कुल क्षेत्रफल-1.48 हे० है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है	
(i)	परिवारों की संख्या-	रिक्त
(ii)	अनु०जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या	रिक्त
(iii)	पुनर्वास योजना संलग्न किये जाने के लिए	लागू नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है हां/नहीं	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण/दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण/सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	वांछित नहीं है।
6	निर्देश के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	

दिनांक:- 14-02-2015

स्थान - बाराबंकी

A. K. Mishra
Assistant Engineer
C.D.-3, P.W.D., Barabanki

हस्ताक्षर

नाम साफ अक्षरों में
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

निम्नलिखित अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०,
बाराबंकी